न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2001 पुनरीक्षण

1- रामगोपाल } पुत्रगण श्यामा खटीक
2- दर्शनसिंह }
3- बिस्सू पुत्र फन्दोलिया खटीक
निवासीगण ग्राम छौंदा तहसील एवं जिला मुरैना
4- रामसनेही } पुत्रगण लोहरे
5- जगदीश }
निवासीगण ग्राम मोदना, बागचीनी,
तहसील जौरा जिला मुरैना, हाल निवासीगण
संजय कालोनी मुरैना ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- काशीबाई पत्नी श्यामा पुत्री फन्दोलिया खटीक
2- किशनसिंह } पुत्रगण श्यामा खटीक, सभी
3- जगदीश } निवासीगण ग्राम छौंदा
4- देवसिंह } तहसील एवं जिला मुरैना
5- अमृतलाल } म0प्र0
------- मूल अनावेदकगण
6- गेन्दालाल पुत्र लोहरे निवासी ग्राम मोदना,
बागचीनी तहसील जौरा जिला मुरैना, हाल
निवासी संजय कालोनी मुरैना म0प्र0
7- अजुद्दी पत्नी पल्लू पुत्री फन्दोलिया खटीक
निवासी ग्राम कोरगार, जिला शिवपुरी म0प्र0
8- छोटी पत्नी रामचरण पुत्री फन्दोलिया खटीक
निवासी ग्राम छौंदा तहसील एवं जिला मुरैना
9- रामनिवास पुत्र उत्तमसिंह वंशाना
निवासी जीवाजीगंज, मुरैना - औपचारिक
अनावेदकगण

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1024–दो/2001 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1 –8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेई उपस्थित । उनके द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 62/00–01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.04.2001 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छोंदा में स्थित विवादित भूमि खाता क्रमांक 364 रकबा 15 बीघा 13 विस्वा कुल किता 5 व सर्वे क्र0 436 रकबा 1 बीघा 17 विस्वा जिसके भाग 1/6 के आवेदकगण तथा 1/6 भाग के अनावेदकगण भूमिस्वामी एवं अधिपत्यधारी है । आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 178 के तहत बटवारा का आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और दिनांक 20.07.92 को बटवारा का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील, अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के न्यायालय में पेश की गई। प्र0क्र0 44/93–94/अ.मा.	

पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 26.06.2000 को अपील स्वीकार की गई और विचारण न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश को निरस्त किया और प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 26.06.2000 से दुखी होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर मुरैना के न्यायालय में निगरानी पेश की गई, जो दिनांक 30.11.2000 को निरस्त हुई । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय निगरानी अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । अपर आयुक्त न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 30.04.2001 को निगरानी निरस्त कर दी गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.04.2001 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 मुरैना के आदेश दिनांक 23.03.2000 के स्टे आर्डर पर कोई विचार नहीं किया गया है, जबकि व्यवहार न्यायालय में आदेश दिनांक 23.03.2000 के अनुसार यह स्पष्ट है कि दीवानी न्यायालय से एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 07.09.1999 की कार्यवाही राजस्व न्यायालय में

प्रचलित होने से स्थिगित की गई है । ताकि असल प्रतिप्रार्थी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री का कोई अनुचित लाभ न उठा सके । तर्क में यह भी बताया गया है कि एकपक्षीय निर्णय व डिक्री के आधार पर असल प्रतिप्रार्थी काशीबाई ने अपने नामांतरण की कार्यवाही न्यायालय तहसील में प्र0क्र0 16/99–2000/बी–121 के अन्तर्गत की, परन्तु तहसील न्यायालय ने व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2000 के आधार पर काशीबाई के नामांतरण की कार्यवाही को निरस्त कर दिया । इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी को व्यवहार न्यायालय के स्थंगन आदेश को निरस्त करना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं किया गया । असल प्रतिप्रार्थी तथा अन्य प्रतिप्रार्थीगण ने वैधानिक रूप से अपनी–अपनी तामीले की है और विधिवत फर्द पेश हुई है और पटवारी ने फर्द के सम्बन्ध में विधिवत कार्यवाही की है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा का आदेश स्थिर रखने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अभिभाषक के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना एवं अपर कलेक्टर, मुरैना एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा अपने

आदेशों में स्पष्ट पूर्ण विवेचना की है। अतः पुनः इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है । संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नियमों तथा प्रावधानों में बटवारा का आदेश पारित करते समय यह स्पष्ट किया गया है कि बटवारा में विभाजन संयुक्त खातेदारों के हिस्से के अनुसार किया जाना चाहिये । बटवारे के समय समस्त सर्वेक्षण संस्थाक को सम्मिलित किया जाना चाहिये, उनके उत्पादन क्षमता पर विचार कर समान और संहत क्षेत्रफल दिया जाना चाहिये । विचारण न्यायालय द्वारा न तो संहिता की धारा 178 के नियमों तथा प्रावधानों का ध्यान रखा गया है और न ही वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा समय–समय पर न्याय निर्णयों की ओर ध्यान ही दिया है । विचारण न्यायालय द्वारा पारित बटवारे का आदेश निरस्त किया जाता है । इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने भी विचारण न्यायालय के आदेश त्रुटिपूर्ण माना है और प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया है कि माननीय सिविल न्यायालय के निर्णयों को ध्याान में रखते हुये तथा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये उभयपक्षों को सुनने के उपरांत प्रकरणक का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना ने जो आदेश पारित किया है वह विधिसंगत है । उक्त

आदेश में कोई अनियमितता एवं अवैधानिक प्रदर्शित नहीं होती । अपर कलेक्टर, मुरैना ने भी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित निणर्यों को उचित एवं सही माना है । तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती होने से उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है । अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित किये गये आदेशों का स्थिर रखते हुये प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर, अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य